

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नम्बर : 0141-2740735, फ़ैक्स नम्बर : 0141-2742309)

क्रमांक : एफ.3(29)वी.-46/94/अलेसे-II/

33-34

दिनांक : 20.05.2020

21.05.20

अधिशायी अभियन्ता,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
जालौर।

विषय :- कार्यग्रहण करवाने के संबंध में।

प्रसंग :- आपके कार्यालय के पृष्ठांकन पत्र क्रमांक अ.अ./चि.एवं स्वा./  
2020-21/29 दिनांक 11.05.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.07.2019 की अनुपालना में श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय को कार्यालय में कार्यग्रहण करावें ताकि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

  
(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक : एफ.3(29)वी.-46/94/अलेसे-II/

33-34

दिनांक : 20.05.2020

21.05.20

प्रतिलिपि :- श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय कार्यालय अधिशायी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जालौर को निर्देशित किया जाता है कि आप उक्त कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

  
(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I/II)